अनिल गलगली का पोल खोल अभियान: 5 जुलाई को लोक आयुक्त ने रखी सुनवाई

मुंबई मनपा ने सडक काम में हुए भ्रष्टाचार और धांदली के चलते जांच कर 6 ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज की। इस सच्चाई को नकारते हुए जिन ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं उनमें से ही आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट और जे कुमार को हँकॉक के अलावा यारी रोड, मिठी नदी और विक्रोली उड्डाणपूल का नया ठेका बहाल करना और गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड इस1300 करोड़ के काम में दोबारा एफआईआर दर्ज ठेकेदारों में से ही ठेकेदारों पर दिखाई गई मेहरबानी की जांच करने की मांग आरटीआई कार्यकर्ते अनिल गलगली ने राज्य के लोक आयुक्त एम एल तहलियानी के पास करते ही मंगलवार, 5 जुलाई 2016 को सुनवाई रखी हैं जिसमें मनपा आयुक्त, पुलिस आयुक्त और आझाद मैदान पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को बुलावा भेजा हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने राज्य के लोक आयुक्त एम एल तहलियानी के पास शिकायत में आश्चर्य व्यक्त किया हैं कि एकओर ठेकेदार पर मनपा एफआईआर दर्ज करती हैं दूसरीओर उसी ठेकेदारों को नया ठेका देती हैं। यह विचित्र मामला हैं। इसके अलावा गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड इस 1300 करोड़ो के काम में भी एफआईआर दर्ज हुए ठेकेदारों पर मनपा मेहरबान हैं और हाल ही में शार्ट लिस्टिंग में उनमें से ही 2 ठेकेदार वैध साबित हुए हैं। एक बार मनपा फस गई है जिससे बदनामी होते हुए उसी ठेकेदारों को नया नया काम देने से मनपा की भूमिका पर संदेह निर्माण हो रहा हैं।

अनिल गलगली की लोक आयुक्त से मांग की थी कि सभी मामले को गंभीरता से लेते हुए महानगरपालिका आयुक्त से हँकॉक के अलावा यारी रोड, मीठी नदी और विक्रोली उड्डाणपूल एवं गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड इस नए काम का वस्तुस्थिति पर आधारित रिपोर्ट मंगवाकर मुंबईकरों की और मनपा की होनेवाला फ्रॉड को रोके और दर्ज एफआईआर के मद्देनजर स्वप्रेरणा निगरानी के तहत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करे। गलगली की मांग पर राज्य के लोक आयुक्त एम एल तहलियानी ने जांच के आदेश दिए हैं। मनपा आयुक्त, पुलिस आयुक्त और आझाद मैदान पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया हैं।